

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-245 / 2019-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

एलिजावेद रूपा पूर्ति  
लुसिया बोदरा

- विक्रेता  
- क्रेता

आदेश की क्रम  
संख्या और  
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की  
गई कार्रवाई के  
बारे में टिप्पणी,  
तारीख सहित

28.11.20

## आदेश

आवेदक एलिजावेद रूपा पूर्ति पति स्व0 जोहन पूर्ति ग्राम-तिरला कुदाडीह, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने लुसिया बोदरा पिता स्व0 बेनेदिक बोदरा ग्राम-कुदाडीह तिरला, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
तिरला	78	23	571	0.15


उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 0080992946 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 674 दिनांक 25.08.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला पट्टा सं0-366/364 दिनांक 02.08.2002 से क्रय की गयी है। खतियानी रैयत का नाम पन्डा मुण्डा हैं। पंजी II के अनुसार जोहन पूर्ति के नाम भूमि का 0.33 एकड़ है। आवेदक के कुल रकबा 6.12 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 25060.00(पच्चीस हजार साठ)रु0 प्रति डिसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 5.97 एकड़ रह जाती है।


आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण एलिजावेद रूपा पूर्ति पति स्व0 जोहन पूर्ति को लुसिया बोदरा पिता स्व0 बेनेदिक बोदरा के साथ ग्राम तिरला के खाता सं0 23 खेसरा संख्या 571 कुल रकबा 0.15 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 25060.00(पच्चीस हजार साठ)रु0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
खूँटी।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
खूँटी।